बिन्दु–2: अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

विभागाध्यक्ष के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी निदेशक के रूप में शासन द्वारा तैनात किये जाते हैं तथा अपर निदेशक (प्रशासन) के पद पर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती होती है। मण्डी निदेशक की शक्तियां एवं कर्त्तव्य निम्नवत् हैं।

1 निदेशक द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण– परिषद् के अधीक्षण के अधीन रहते हुये, परिषद् के समस्त अधिकारियों और सेवकों पर सामान्य नियन्त्रण तथा उनको निर्देश देना निदेशक में निहित होगा।

2 परिषद के आदेशों तथा अन्य संलेखों का प्रमाणीकरण– परिषद की सभी कार्यवाहियाँ अध्यक्ष या सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत की जायेंगी और परिषद् द्वारा जारी किये गये सभी आदेश तथा अन्य संलेख निदेशक या परिषद के ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे विनियमों द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, हस्ताक्षर किया जाये, हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे।

3 शक्तियों का प्रतिनिधान– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो आदेश में निर्दिष्ट की जाये, अपने द्वारा नियुक्त किसी उपसमिति या निदेशक या सदस्य सचिव अथवा परिषद के किसी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती हैं, जिन्हें वह उचित समझे।